"स्वच्छ, शान्त, समृद्ध पर्यटकीय नगर बुढानीलकण्ठ"

बुढानीलकण्ठ नगरपालिका

**नगर कार्यपालिकाको कार्यालय**

हात्तीगौंडा, काठमाडौं

बागमती प्रदेश, नेपाल

# बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको

# बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन,

प्रस्तावना: नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागी स्थानीय कर, दस्तुर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बुढानीलकण्ठ नगर सभाले यो ऐन बनाई लागु गरेको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम " **बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१**" रहेको छ ।

(२) यो ऐन, सम्बत् २०८१ साल श्रावण १ गतेदेखि नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पत्ति करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको घर र सो घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउँदा घर र घरजग्गाको मूल्याङ्कन देहायको आधारमा गरिनेछ ।

(क) घर र घरजग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोगको अवस्था,

(ख) घर र घरजग्गाको मालपोत मूल्याङ्कन, चलनचल्तिको मूल्य र घरको ह्रास मूल्य,

(ग) घर र घरजग्गाको व्यापारिक र आवासीय उपयोगको अवस्था

(४) उपदफा (१) बमोजिम घर र घरजग्गाको सम्पत्ति करको दर निर्धारण गर्दा नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर तिर्न सक्ने क्षमता, सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य तथा ह्रासमूल्य समेतलाई विचार गरी कार्यपालिकाले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

(५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको घर र घरजग्गामा सम्पत्ति कर लाग्नेछैनः

क. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर र घरजग्गा,

ख. सरकारी अस्पतालको घर र घरजग्गा,

ग. गुठीको स्वामित्वमा रहेको घर र घरजग्गा,

घ. मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन गरिएको सरकारी शिक्षण संस्था, कम्पनी, समिति, प्राधिकरण, बोर्ड र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा,

ङ. मुनाफाको उद्देश्य नराखी सञ्चालन भएका संघ, संस्थाको घर र घरजग्गा,

च. धार्मिक संस्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को घर र घरजग्गा,

छ. खानेपानी सङ्कलन पोखरी, विद्युतगृह, मसानघाट, कब्रस्तान, कर्वला, मजार, बसपार्क, रंगशाला, उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरु,

ज. राजदुतावास, वाणिज्य नियोग, कुटनैतिक नियोगका घर र घरजग्गा ।

३. **भूमिकर (मालपोत):** नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा अनुसूची-२ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर दफा २. बमोजिम सम्पत्ति कर लगाएको जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाईने छैन ।

४. **घरजग्गा बहाल करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा बहाल रकममा बहाल कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने घरजग्गा बहाल करको दर अनुसूची -३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि नगरपालिकाले घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी कर लिन सक्नेछ ।

५. **व्यवसाय करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई अनुसूची-४ बमोजिमको व्यवसाय कर असुल गरी व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गरिनेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची-५ बमोजिम जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिकाले व्यवसाय इजाजत दिँदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोकी इजाजत दिनेछ ।

७. **सवारी साधन करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ । तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र ई-रिक्सामा नगरपालिकाले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले लगाउने भनी तोकिएका सवारी साधनहरुको दर्ता, नवीकरण र सवारी साधन करको दर अनुसूची-६ बमोजिम हुनेछ ।

(३) प्रदेश सरकारले लगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने हिस्सा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. **विज्ञापन करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, होर्डिङ्ग बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा अनुसूची-७ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(२) यस दफा बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको विज्ञापन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम बाँडफाँट गरिनेछ ।

९. **मनोरञ्जन करः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सिनेमा हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर संगीत, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल, जादू, सर्कस, चटक, पार्क, सुटिङ्ग स्पट लगायतका मनोरञ्जन स्थलमा प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम बाँडफाँट गरिनेछ ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्कः** (१) नगरपालिकाले आफुले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका देहाय बमोजिमका सम्पत्तिहरुमा अनुसूची-८ बमोजिमको दरमा बहाल बिटौरी शुल्क लगाउन र उठाउन सक्नेछ।

(क) आफुले निर्माण गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति,

(ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटो छेउको जग्गामा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,

(ग) नगरपालिकाले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा सञ्चालन गरेका पसल, रिक्सा, ठेलागाडा, ठेला पसल आदि।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल बिटौरी शुल्क उठाउनका लागि नगर कार्यपालिकाले न्यूनतम दर निर्धारण गरी प्रचलित सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियम बमोजिम बहालमा दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल बिटौरी शुल्क उठाउनका लागि नगरपालिकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं कारोवारको आधारमा तोकेको न्यूनतम बहाल विटौरी शुल्कको दरमा प्रचलित सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियम बमोजिम बहाल बिटौरीमा दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम बहाल बिटौरीमा दिँदा शर्त सहित सम्झौता गरी दिनु पर्नेछ ।

**११. पार्किङ्ग शुल्कः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र तोकेको पार्किङ्ग स्थलमा सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराए बापत पार्किङ्ग गर्ने समयको आधारमा अनुसूची-९ मा उल्लेख भए बमोजिमको दरमा पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम तोकेको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा सवारी साधन पार्किङ्ग गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । तर राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र यस दफा बमोजिम सवारी साधन पार्किङ्ग गराइने र शुल्क लगाइने छैन ।

(३) नगरपालिकाले सवारी साधन आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको समन्वयमा सवारी साधन पार्किङ्ग क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, कुटनीतिक नियोगको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनको हकमा कुनै किसिमको पार्किङ्ग शुल्क लाग्ने छैन ।

**१२. सेवा शुल्क, दस्तुरः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ्ग , प्याराग्लाइडिङ्ग लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

तर सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समन्वय गरी लगाइनेछ ।

(२) नगरपालिकाले निर्माण वा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(क) खानेपानी, विजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,

(ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,

(ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास (होस्टल), हाटबजार, पशु बधशाला, शवदाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,

(घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,

(ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,

(च) नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सिफारिस सम्बन्धी कुनै सेवा,

(छ) ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क ।

तर ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल र धार्मिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गर्दा बुढानीलकण्ठ नगरवासीलाई यस दफा बमोजिम शुल्क लिईने छैन ।

(३) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सहकारी संस्था, एफ.एम. रेडियो, “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधि पसल, स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा नियमन आदि सेवामा सेवा शुल्क दस्तुर लगाइने र उठाइनेछ ।

(४) नगरपालिकाभित्र नयाँ घर निर्माण गर्दा निर्माण स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ । अस्थायी इजाजत (प्लिन्थ लेभल) लिए पश्चात प्राविधिकबाट चेकजाँच गरी स्थायी निर्माण स्वीकृति लिनुपर्नेछ र अस्थायी इजाजत लिएको मितिबाट दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिई सक्नुपर्नेछ । दुई वर्ष भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा म्याद सकिनु अगावै नियमानुसार नवीकरण दस्तुर तिरी थप दुई बर्षको लागि नक्सा नवीकरण गर्न सकिनेछ । सो म्याद समेत गुज्री ४ वर्ष अवधि पुरा भएमा नक्सा पास गर्दा लाग्ने पुरै दस्तुर तिरी पूनः नयाँ नक्सा पास गर्नुपर्नेछ ।

(५) कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालयले धारा, ढल एवं अन्य निर्माणको लागि नगरपालिकाको जिम्मामा रहेर सडक बाटो खन्दा नगरपालिकाको प्राविधिकबाट लागत अनुमान गराई तोकिए बमोजिमको धरौटी रकम नगरपालिकाको धरौटी खातामा जम्मा गरे पश्चात मात्र स्वीकृति दिईनेछ ।

(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) बमोजिम लगाइने सेवा शुल्क, दस्तुरको दर अनुसूची -१० मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१३. **माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तरबहत्तर तथा अन्य बिक्री शुल्कः** (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकीएको परिमाणमा स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्न सक्नेछ।

(२) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नगरपालिकाले गर्ने बिक्रिको दर प्रदेश कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(४) नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र काम नलाग्ने वस्तु, उपकरण तथा सामानहरु लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(५) नगर कार्यपालिकाले नागरिकको सुविधाको लागि विभिन्न फाराम तथा पुस्तकहरु वा अन्य सेवा बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) र (२) बमोजिम बिक्री बापत प्राप्त रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम बाँडफाँट गरिनेछ ।

१४. **पर्यटन शुल्कः** नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिम अनुसूची-११ अनुसार कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१५. **घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कः** (१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश कानुनले तोके बमोजिम लगाइने र उठाईनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उठेको रकम संघीय र प्रदेश कानुन बमोजिम बाँडफाँट गरिनेछ।

(३) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेका कार्यालयमार्फत उठाईनेछ ।

१६. **दण्ड जरिबानाः** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा सवारी साधन पार्किङ्ग वा व्यापार व्यवसाय, निर्माण सामाग्री, फोहोरमैला गर्ने तथा प्रचलित कानुन विपरितका कार्य गरेमा अनुसूची-१२ बमोजिम जरिबाना लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) नगरपालिकाले निर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित कानुनमा दर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा कार्यपालिकाबाट निर्धारित दरमा जरिबाना सहित बक्यौता असुल गरिनेछ ।

(३) असुल गर्नुपर्ने राजस्व असुल नगरेको वा न्यून रकममात्र असुल गरेको पाइएमा असुल हुन बाँकी रकमको दोब्बर रकम न्यून रकम असुल गर्ने कर्मचारी वा लिखित आदेश दिने पदाधिकारीलाई जरिबाना गरिनेछ।

(४) नगरपालिकाले उपदफा (१), (२) र (३) बाहेक प्रचलित कानुन पालना नगरेको कसूरमा लगाउने अन्य दण्ड जरिबाना रकम सम्बन्धित कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

**१७. कर छुटः** (१) चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर, भूमिकर(मालपोत), व्यवसाय कर र बहाल कर (एकमुस्ट) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्म (कार्तिक मसान्तसम्म) तिरेमा पन्ध्र प्रतिशत (१५%) छुट हुनेछ।

(२) एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरुको समूह/व्यक्तिद्धारा सञ्चालित व्यवसाय दर्तामा लाग्ने कुल रकममा पचास प्रतिशत (५०%) छुट हुनेछ ।

(३) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कुटनीतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्थाको सम्पत्ति, वस्तु तथा कारोबारमा यस ऐन बमोजिमको कर लिईने छैन ।

स्पष्टीकरणः लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्था भन्नाले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय र सोका आंगिक कलेजहरु, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरु, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालय, बालगृह, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, योग ध्यानकेन्द्र जस्ता सामाजिक संघसंस्था सम्झनु पर्दछ ।

(४) विपद् वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विशेष परिस्थितिको कारणले करदाताहरुले कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था देखिएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई नगर सभाको निर्णय बमोजिम कर वा जरिबाना छुट दिन सकिनेछ ।

(५) कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक नगरपालिकाको कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको कर, दस्तुर, शुल्क, महसुल लिन वा दण्ड, जरिबाना छुट दिन पाउने छैन ।

तर स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याउने किसिमका उद्योग व्यवसायमा निश्चित अवधिसम्म नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम कर, दस्तुर, शुल्क छुट दिन बाधा पर्ने छैन ।

**१८. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनः** (१) नगरपालिकाले गरेको कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल, दण्ड, जरिबाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले नगरपालिकामा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि नगर कार्यपालिकाले प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजस्व

प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । यस्तो समितिमा कर निर्धारणमा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहभागिता रहनेछैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि प्राप्त भएको निवेदन उपर पैंतिस (३५) दिनभित्र छानबिन तथा निर्णय गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) तोकिएको समयमा यस दफा बमोजिम प्रशासकीय पुनरावलोकन नगरेको कारणले करदातालाई थप आर्थिक भार पर्न गई हानी नोक्सानी पर्न गएमा नगरपालिकाले त्यसको क्षतिपुर्ति दिनु पर्नेछ ।

१९. **ठेक्का आह्वान गर्न सक्नेः** (१) यस ऐन बमोजिम सङ्कलन गर्ने सेवा शुल्क र दस्तुर नगर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक आर्थिक वर्षको लागि आय ठेक्का बन्दोबस्त गरी सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।

तर, आन्तरिक आय वृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा दुई वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ ।

(२) यस दफा बमोजिमको आय ठेक्का दिँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) नगरपालिकाले सामान्यतयाः आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले कर सङ्कलन गर्न सामान्यतया ठेक्का बन्दोबस्त गरिने छैन । तर जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा दहत्तरबहत्तर बिक्री शुल्क तथा विज्ञापन कर सङ्कलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने अवस्थामा नगर कार्यपालिकाको निर्णय गराई ठेक्कामा सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम गरिने आय ठेक्का बन्दोबस्त प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमका आधारमा गरिने छ ।

२०. **सहयोग लिन सकिनेः** नगरपालिकाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुसँग राजस्व असुली सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ ।

२१. **प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिनेः** नगरपालिकाले करको दर निर्धारण गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई कम बोझ पर्ने गरी प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्नेछ ।

२२. **कार्यविधि बनाउन सक्नेः** यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नगर कार्यपालिकाले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।

२३.	**राजस्व फिर्ता/समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) सेवाग्राही वा करदाताले यस ऐन बमोजिम राजस्व बुझाउँदा तिर्नुपर्ने भन्दा बढी राजस्व दाखिला गरेमा उक्त बढी भएको रकम फिर्ता/समायोजन माग गर्न सक्नेछ । यसरी बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता/समायोजन माग गर्दा दाखिला गरेको पैंतिस (३५) दिन भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । सो व्यहोरा साँचो देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निवेदन परेको एक महिना भित्र रकम फिर्ता/समायोजन गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।तर एक आर्थिक वर्षमा दाखिला गरेको राजस्व रकम अर्को आर्थिक वर्षमा फिर्ता गरिने छैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्था बाहेकको हकमा राजस्व समायोजन गर्ने कार्य राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

२४.	**प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेः** (१) प्रचलित कर सम्बन्धी कानुन तथा यस ऐन कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा गम्भीर खलल् पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित कानुनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित कानुन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा अड्काउ पर्न गएमा नगर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ ।

(२) यस ऐनमा उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा तथा असहजता भएमा वा यस ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा राजस्व सङ्कलन गर्नु पर्ने भएमा राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकिनेछ ।

२५.	**प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेः** यस ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयहरुमा यसै बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

**अनुसूची - १**

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

**सम्पत्ति कर**

**क. सम्पत्ति कर सम्बन्धमा**

नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ (संशोधन सहित) को दफा ५५ को उपदफा (१) अनुसार घर र घरले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाईने र उठाइनेछ । "घरले चर्चेको जग्गा" भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अधिकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म सम्झनुपर्नेछ । सो भन्दा बाहेकको जग्गाको हकमा भूमिकर (मालपोत) लगाइनेछ ।

**१. सम्पत्ति करको लागि घरको मूल्याङ्कन तथा ह्रासकट्टी निम्न अनुसार गरिनेछः**

| घरको बनावट | औसत लागत दर प्रति वर्ग फुट | ह्रास कट्टी प्रतिशतमा | कट्टी गर्ने जम्मा वर्ष |
|---|---|---|---|
| भित्र काँचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भएको वा काठै काठबाट बनेको र जस्ता, झिँगटी, टायल, एसवेस्टसको छाना भएको घर | रु ६००।- | ३ | २५ |
| भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान वा आरविसि गरिएको वा जस्ता, टायल, झिँगटी, एसवेस्टसको छाना भएको घर | रु ७५०।- | २ | ३० |
| भित्र बाहिर पाको ईटा वा ढुङ्गामा सिमेन्ट प्लाष्टर गरी छाना ढलान (आरसिसि वा आरविसि) गरिएको घर | रु १७५०।- | १ | ५० |
| आरसिसि फ्रेम स्ट्रक्चरको घर, स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रविङट्रस, फाइवर वा यस्तै संरचना | रु १८००।- | ०.७५ | ७० |
| डिपार्टमेन्ट स्टोर, कम्प्लेक्स, अपार्टमेन्ट र पाँचतारे तथा सो भन्दा ठुला होटल | रु ३०००।- | ०.७५ | ७० |

## <u>२. सम्पत्ति करको लागि जग्गाको मूल्याङ्कन प्रति आना निम्न अनुसार कायम गरिनेछः-</u>

### ४ मिटर भन्दा कम चौंडाई भएको सडकहरुमा प्रति आना रु.

| क्र.स. | सडकको विवरण | वडा नं | मुल्याङ्कन (रु) | वडा नं | सडकको किसिम | मुल्याङ्कन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाटो नभएका जग्गाहरु | १ देखि १३ | ३,०२,५००।- | • पहाडी भुभाग छुने वडाहरु १, २, ३, ४, ५ र १३ का केही भुभागहरु<br>• बू.न.पा. वडा नं. १ साविक चपली गा.वि.स. वडा नं. १/क, १/ख, ३/क, ३/ख, ४/ख, ४/ग का केही भुभागहरु<br>• बू.न.पा. वडा नं. २ साविक चपली गा.वि.स. वडा नं. ५/क, ५/ख को केही भुभाग<br>• बू.न.पा. वडा नं. ३ साविक विष्णु गा.वि.स. को वडा नं. १/क को पुरै भुभाग<br>• बू.न.पा. वडा नं. ४ साविक विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ६/क, ६/ख, ६/ग को पुरै भुभाग<br>• बू.न.पा. वडा नं. ५, साविक विष्णु गा.वि.स. वडा नं. ९/क, ९/ख, ७/ख, ८/क, ८/ख का केही भुभाग<br>• वडा नं. १३ साविक चुनीखेल गा.वि.स. मेन रोड नामाकरण गरिएको जग्गा बाहेक अन्य जग्गाको मुल्य | बाटो नभएका जग्गाहरु | १,८१,५००।- |
| २ | गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु | १ देखि १३ | ४,२३,५००।- | | गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु | ३,०२,५००।- |
| ३ | कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु | १ देखि १३ | ७,८६,५००।- | | कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु | ६,०५,०००।- |
| ४ | पिच बाटो भएका जग्गाहरु | १ देखि १३ | १०,८९,०००।- | | पिच बाटो भएका जग्गाहरु | ८,४७,०००।- |
| | | | | | | |

### ४ मिटर भन्दा बढी चौडाई भएका सडकहरुमा प्रति आना रु.

| क्र.सं. | सडकको विवरण | वडा नं. | मुल्याङ्कन (रु.) | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वडा नं. | मुल्याङ्कन (रु.) |
| १ | कच्ची मोटरबाटो भएका जग्गाहरु | १ देखि १३ | १०,८९,०००।- | वडा नं १३ को ४ मिटर भन्दा कम चौंडाईका सडकः (मेन रोड बाहेक) | ६,०५,०००।- |
| २ | पिच सडक भएका जग्गाहरु | १ देखि १३ | १३,३१,०००।- | वडा नं १३ को ४ मिटर भन्दा बढी चौंडाईका सडकः (मेन रोड बाहेक) | ९,३१,७००।- |

### निम्न सडक नामाकरण गरिएका जग्गाहरु प्रति आना रु.

| क्र.सं. | सडकको विवरण | मुल्यांकन (रु.) |
|---|---|---|
| १ | बुढानीलकण्ठ जाने मुल सडक | २०,५७,०००।- |
| २ | गोल्फुटार हुँदै धुम्बाराही जाने सडक | १८,१५,०००।- |
| ३ | तेञ्जिङ्ग चोक आनिगुम्बा सडक | १५,७३,०००।- |
| ४ | साततले-मिलनचोक तरकारी बजार जाने सडक | १५,७३,०००।- |
| ५ | साततले-साँप्रेढुंगा सडक | १८,१५,०००।- |
| ६ | राम मन्दिरबाट कृष्ण मन्दिर जाने बाटो | १८,१५,०००।- |
| ७ | विष्णुमती-धोबीखोला कोरिडोर | १४,५२,०००।- |
| ८ | धोबीखोला पुल देखि कपन जोड्ने चुनीखेल मुल सडक | १२,१०,०००।- |
| ९ | न्युरो हस्पिटलबाट बसुन्धारा जाने सडक | १२,१०,०००।- |
| १० | कपन-चुनीखेल-गाम्चा सडक | १२,१०,०००।- |
| ११ | हात्तीगौंडा-टोखा सडक | १२,१०,०००।- |
| १२ | मानबहादुर मार्ग-भ्यालि पब्लिक हुँदै धोबीखोला पुल | १२,१०,०००।- |
| १३ | गणेश स्कुल-भंगाल हुँदै धोबीखोला-चुनीखेल सडक | १२,१०,०००।- |

### ३. सम्पत्ति करको दर निम्न अनुसार कायम गरिनेछः

| क्र.सं. | विवरण | करको दर प्रतिशत |
|---|---|---|
| १ | रु. ३०,००,००० (तिस लाख) सम्म (एकमुस्ट) | रू. ५०० |
| २ | त्यस पछिको रु. २०,००,००० (बिस लाख) सम्म | ०.०३% |
| ३ | त्यस पछिको रु. ५०,००,००० (पचास लाख) सम्म | ०.०७% |
| ४ | त्यस पछिको रु. १,००,००,००० (एक करोड) सम्म | ०.११% |
| ५ | त्यस पछिको जतिसुकै भए पनि | ०.२५% |

**द्रष्टव्यः**

१. भवन निर्माण सम्पन्न गरेको आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर असुल गरिनेछ।

२. भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म (म्याद थप भएमा थप दुईवर्ष) को अवधिलाई निर्माण अवधि मानी सो अवधिको सम्पत्ति कर असुल गरिने छैन। तर निर्माण अवधिभन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको अवस्थामा सोही आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर असुल गरिनेछ।

३. संयुक्त तथा सामूहिक आवासको सम्पत्ति कर निर्धारणः बहुतले सामूहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) वा संयुक्त आवास (हाउजिङ्ग) वा कुनै घरको विभिन्न तलाहरु वा एकै तलामा पृथक, पृथक स्वामित्व रहेकोमा त्यस्तो पृथक, पृथक स्वामित्व भएका भागहरु वा तलाहरुको सम्पत्ति कर सम्बन्धित स्वामित्ववाला व्यक्तिहरुको नाममा देहाय बमोजिम निर्धारण गरी असुल उपर गरिनेछ ।

(क) बहुतले सामूहिक आवास (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) को हकमा जे-जति क्षेत्रफलको घर, अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट राजिनामा वा स्वामित्व हस्तान्तरणको लिखत पारित गरी हक हस्तान्तरण भएको छ सोही बराबर घर (अपार्टमेन्ट वा फ्ल्याट) को क्षेत्रफल कायम गरिनेछ ।

(ख) सामूहिक आवासको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्दा राजिनामा वा स्वामित्व हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भएको भए सोही जग्गाको क्षेत्रफल र उल्लेख नभएको भए घरको स्वामित्व बराबरको क्षेत्रफल मानि सो को दुई गुणा बराबरको जग्गाको क्षेत्रफल कायम गरिनेछ ।

(ग) व्यावसायिक प्रयोजनको लागि निर्माण गरी बिक्री भएको (मल / सपिङ्ग कम्प्लेक्स / सपिङ्ग सेन्टर आदि) मा खरिद बिक्री हुने पसल, कोठा तलाको हकमा समेत बुँदा (क) बमोजिम कर निर्धारण गरिनेछ ।

(घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व भई अर्को व्यक्तिले जग्गा लिजमा लिई भौतिक संरचनाको निर्माण, विकास र सम्बर्द्धन गरी भोग गरेको सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा निजहरुबीच भएको सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हकमा सोही बमोजिम

हुनेछ । यदि सम्झौतामा स्पष्ट प्रावधान उल्लेख नगरिएको भएमा सम्पत्तिको भोग गर्ने वा लिजमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले कर दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) बुँदा (घ) बमोजिमको लिज सम्झौता भंग भएमा वा कार्यन्वयन नभई सम्झौताको यथार्थ परिपालना नगरिएको अवस्थामा सम्पत्ति कर तिर्ने दायित्व सम्बन्धित जग्गा धनीको हुनेछ ।

**ख. बक्यौता घरजग्गा/सम्पत्ति कर सम्बन्धमा**

नगरपालिका क्षेत्र भित्र गत आर्थिक वर्षमा तिर्न बाँकी रहेका घरजग्गा कर तथा सम्पत्ति कर असुल उपर गर्नका लागि घर र घरले चर्चेको जग्गामा बक्यौता घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर लगाईनेछ । उल्लिखित बक्यौता घरजग्गा/सम्पत्ति कर असुलउपर गर्न जग्गाको क्षेत्रफल कायम गर्दा घरले चर्चेको प्लिन्थ एरियालाई सम्झनु पर्नेछ । घरले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल अधिकतम सो घरले चर्चेको प्लिन्थ एरिया बराबरको थप जग्गा समेतलाई बक्यौता घरजग्गा कर तथा सम्पत्ति कर लिइनेछ । सो भन्दा बढी जग्गालाई बक्यौता घरजग्गा/सम्पत्ति कर लिइने छैन । बक्यौता घरजग्गा/सम्पत्ति कर असुलउपर गर्ने हकमा चालु आर्थिक वर्षलाई नै आधार मानेर असुलउपर गरिनेछ । बक्यौता घरजग्गा/सम्पत्ति करमा दश प्रतिशत (१०%) जरिबाना लगाई असुल उपर गरिनेछ । तर आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सम्मको बक्यौता घरजग्गा/सम्पत्ति कर असुल उपर गर्ने हकमा चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मानी मूल्याङ्कन गरी आएको करमा चालिस प्रतिशत (४०%) छुट (चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म मात्र) दिई बक्यौता असुल उपर गरिनेछ ।

**अनुसूची-२**

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

**भूमिकर (मालपोत)**

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५६ बमोजिम नगरपालिका क्षेत्र भित्र दफा २. बमोजिम सम्पत्ति कर लागेको घरजग्गा बाहेकको अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाई असुलउपर गरिने छ । भूमिकर (मालपोत) दररेट निम्नानुसार हुनेछः

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८१।०८२ को दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | प्रति आना | १२।५० |
| २ | प्रति रोपनी | २००।- |

| | | |
|---|---|---|
| ३ | न्यूनतम | ५०।- |
| ४ | बक्यौता जरिबाना | १०% |

## अनुसूची -३

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

## घर जग्गा बहाल कर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम बुढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रभित्र निम्न अनुसार घर जग्गा बहाल कर लगाईनेछः

| सि.नं. | विवरण | | आ.व २०८१।०८२ को दर |
|---|---|---|---|
| १ | नगर क्षेत्र भित्रका भवन तथा घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा, पोखरी आदि | क. संघसंस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय प्रयोजनको लागि | १०% |
| | | ख. आवास प्रयोजनको लागि | ७% |
| | | ग. कृषि प्रयोजनको लागि | २% |

(क) बक्यौता घर जग्गा बहाल करमा दश प्रतिशत (१०%) का दरले जरिबाना असुल उपर गरिनेछ । तर गत आर्थिक वर्ष (आ.व.२०८०/०८१) को एकमुस्ट वार्षिक घर जग्गा वहाल कर चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म चुक्ता गर्न आएमा जरिबाना लिईने छैन । चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तपछि गत आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८०/०८१) को घर जग्गा बहाल करमा समेत दश प्रतिशत (१०%) का दरले जरिबाना लिईनेछ ।

(ख) घरजग्गा बहाल कर वापतको आयस्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने भएमा बहाल कर तिरेको विवरणका आधारमा बहाल कर तिरेको समयावधिको मात्र आयश्रोत प्रमाणित गरिनेछ।

(ग) आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई आधार वर्षका रुपमा लिई बहाल कर असुली गरिनेछ ।

(घ) अनुसुची-३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि वार्षिक रू. एक लाख बिस हजार भन्दा कम बहाल आम्दानी भएका र अन्य कुनै आम्दानी गर्ने स्रोत नरहेका करदाताहरूले बहाल कर छुट माग गरेमा सम्बन्धित वडा समितिले वास्तविक अवस्था बुझी व्यहोरा मनासिब भएमा वडा समितिको सिफारिसमा राजस्व परामर्श समितिको राय लिई नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि लाग्ने बहाल करको सेवा शुल्क बापत रू. ५०० लिई बहाल करमा शत प्रतिशत छुट दिईनेछ।

(ङ) घरजग्गा बहाल कर मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा बुझाउन सकिनेछ ।

## अनुसूची - ४
(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

**व्यवसाय कर**

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रभित्र निम्न अनुसार व्यवसाय कर लगाईनेछः

### क. व्यापारिक वस्तु तथा व्यवसाय

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | पुंजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रु ५ लाखसम्म | रु ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म | रु १० लाख भन्दा माथि |
| १ | चुरोट तथा रक्सी | ५००० | १०००० | १५००० |
| २ | खुद्रा व्यवसाय (किराना) | २००० | ५००० | ७००० |
| ३ | ईलेक्ट्रोनिक सामान खरिद विक्रि व्यवसाय | ३००० | ५००० | ७००० |
| ४ | फर्निसिङ्ग तथा फर्निचर | ३००० | ५००० | ७००० |
| ५ | कपडा पसल फेन्सी स्टोर | २००० | ३००० | ५००० |
| ६ | सामान ढुवानी तथा कम्पनी ट्रान्सपोर्ट सर्भिस | ५००० | ७००० | १२००० |
| ७ | मदिरा डिलर | १५००० | २०००० | २५००० |
| ८ | फोटो स्टुडियो | २००० | ४००० | ६००० |
| ९ | कलर ल्याव | ५००० | ७००० | १०००० |
| १० | मसाज पार्लर | ३००० | ५००० | ७००० |
| ११ | ब्युटिपार्लर/जेन्सपार्लर /Unisex पार्लर | १००० | १५०० | २५०० |
| १२ | कस्मेटीक पसल | २००० | ३००० | ४००० |
| १३ | ड्राई क्लिनर्स | ३००० | ४५०० | ६००० |
| १४ | माछा /मासु विक्रेता | २००० | ५००० | ७००० |
| १५ | फलफुल तथा तरकारी  विक्रेता | २००० | २५०० | ३००० |
| १६ | प्लाईउड पसल | ३००० | ४००० | ५००० |
| १७ | डेरी पसल | २००० | २५०० | ३००० |
| १८ | नकर्मी पसल | १००० | १५०० | २००० |
| १९ | जुत्ता चप्पल खुद्रा पसल | २००० | ३००० | ४५०० |
| २० | कुटानी पिसानी | १००० | २००० | ३००० |
| २१ | ग्याँस डिपो | ३००० | ४००० | ५००० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| २२ | सेरामिक्स पसल | २००० | ३००० | ४००० |
| २३ | ह्याण्डिक्राफ्ट/हस्तकला | २००० | | |
| २४ | सोलार बत्ती मेसिनरी औजार विक्रि | ५००० | ७००० | ९००० |
| २५ | क्याटरिङ्ग सर्भिस/ईभेन्ट म्यानेजमेन्ट | ५००० | ७००० | ९००० |
| २६ | रंगरोगन पसल | ५००० | ७००० | १०००० |
| २७ | मोबाईल मर्मत तथा विक्रि केन्द्र | ३००० | ५००० | ७००० |
| २८ | निर्माण सामाग्री सप्लायर्स/डिपो | १०००० | १५००० | २०००० |
| २९ | यातायात व्यवसाय | ५००० | ७००० | १०००० |
| ३० | अटो तथा स्पेयर पार्ट्स सप्लायर्स | ५००० | ७००० | १०००० |
| ३१ | स्टेशनरी | ३००० | ४५०० | ६००० |
| ३२ | भाँडा पसल | २००० | ५००० | १०००० |
| ३३ | प्लाष्टिकका भाँडा पसल | २००० | ४००० | ७००० |
| ३४ | मिनिमार्ट/ग्रोसरी | १०००० | १५००० | २५००० |
| ३५ | एक्वारियम पसल | १५०० | २००० | २५०० |
| ३६ | धागोटाँक पसल | ५०० | | |
| ३७ | काठ गोदाम तथा काठ चिरान | ५००० | ८००० | १२००० |
| ३८ | बाईक/मोटर पार्टस पसल | ५००० | ७००० | १०००० |
| ३९ | लेथमेसिन | २००० | ३००० | ४००० |
| ४० | केनल क्लव तथा Animal Breeding Center | २००० | २५०० | ३००० |
| ४१ | वर्गीकृत नभएका अन्य खाद्यान्न सम्बन्धी व्यवसाय | ५००० | ७००० | ९००० |
| ४२ | खेलौना तथा उपहार विक्रेता | १५०० | २२०० | २७०० |
| ४३ | घडी मर्मत तथा विक्रि पसल | २००० | ३००० | ४००० |
| ४४ | पेट्रोलियम पदार्थ स्टोर वा डिपो | १५००० | २५००० | ३५००० |
| ४५ | शितभण्डार तथा अन्य गोदामघर | २००० | ३००० | ४००० |
| ४६ | अर्गानिक बस्तु विक्रि केन्द्र | २००० | ३००० | ४००० |
| ४७ | चस्मा पसल | २००० | ३००० | १०००० |
| ४८ | लुगा सिउने मेसिन बिक्री गर्ने पसल | २००० | ५००० | १०००० |
| ४९ | सिलाई पसल (सर्टिङ्ग, सुटिङ्ग, टेलरिङ्ग) | १००० | ३००० | ५००० |
| ५० | सुन, चाँदी गहना बनाउने पसल (ज्यासल) | २००० | | |
| ५१ | फुलमाला सजावट पसल | ३००० | | |

| | | |
|---|---|---|
| ५२ | ट्रेकिङ् सामान पसल | ५००० |
| ५३ | कम्प्लेक्स तथा विजनेस मार्ट | ५०००० |
| ५४ | माटोको भाँडा बेच्ने पसल | ५०० |
| ५५ | मुर्ती बनाउने/बेच्ने पसल | २००० |
| ५६ | पान पसल | १००० |

| **क्र.स.** | **व्यवसायको विवरण** | **पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.)** | |
|---|---|---|---|
| | | **रु. ५० लाख सम्म** | **रु. ५० लाख भन्दा माथि** |
| १ | सुनचाँदी तथा गहना खरीद तथा बिक्री पसल | १०००० | २०००० |
| २ | आयात/निर्यात | १०००० | २०००० |
| ३ | गलैंचा उद्योग | ५००० | १०००० |
| ४ | सवारी साधन विक्रेता | २०००० | ५०००० |
| ५ | हार्डवेयर व्यवसाय | १०००० | २०००० |
| ६ | डिपार्टमेन्ट स्टोर | १५००० | २५००० |
| ७ | होलसेल पसल | १०००० | २०००० |
| ८ | मार्वल पसल | १०००० | १५००० |

| **क्र.स** | **अन्य वर्गीकृत नभएका व्यवसायको विवरण** | **पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.)** |
|---|---|---|
| १ | क. ५ लाख सम्मको | ३००० |
| २ | ख. ५ लाख देखि २५ लाख सम्मको | ५००० |
| ३ | ग. २५ लाख देखि १ करोड सम्म | ७००० |
| ४ | घ. १ करोड भन्दा माथि | १०००० |

**ख. उत्पादन मुलक उद्योग**

| **क्र.स.** | **व्यवसायको विवरण** | **पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.)** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **रु. ५ लाख सम्म** | **रु. ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म** | **रु. १० लाख भन्दा माथि** |
| १ | छापाखाना | २००० | ३००० | ४००० |
| २ | उर्जामुलक उद्योग | ५००० | ७००० | १०००० |
| ३ | कृषि/ वनजन्य/पशु सम्बन्धी उद्योग | १००० | २००० | ३००० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ४ | घरेलु उद्योग तथा कलकारखाना | ३००० | ५००० | ७००० |
| ५ | खनिज उद्योग | ५००० | ७००० | १०००० |
| ६ | जुत्ता चप्पल उद्योग | ३००० | ५००० | ७००० |
| ७ | बेकरी उद्योग | २००० | ३००० | ५००० |
| ८ | ह्याचरी उद्योग | ५००० | १०००० | १५००० |
| ९ | कागज उद्योग | ५००० | ७००० | १०००० |
| १० | प्लाष्टिक उद्योग | ५००० | ७००० | १०००० |
| ११ | कवाडी उद्योग | ५००० | ७००० | १०००० |
| १२ | पानी प्रशोधन तथा मिनिरल वाटर उद्योग | ५००० | ७००० | १०००० |
| १३ | पस्मिना उद्योग | ७००० | १०००० | १२००० |
| १४ | गार्मेन्ट उद्योग | ५००० | ७००० | १०००० |
| १५ | झ्याल ढोका कार्भिङ उद्योग | ३००० | ५००० | १०००० |
| १६ | वेल्डीङ /ग्रिल उद्योग | ५००० | ७००० | १५००० |
| १७ | ट्रस, आल्मुनियम, फ्रेम बनाउने उद्योग | ५००० | ७००० | १५००० |
| १८ | डेरीजन्य पदार्थ तथा विस्कुट/चकलेट उद्योग | ३००० | ५००० | ७००० |
| १९ | नेपाली कागज तथा हाते कागज उद्योग | २००० | | |
| २० | नेपाली जडीवुटी उद्योग | २००० | | |
| २१ | बेतबाँस फर्निचर उद्योग | २००० | | |
| २२ | डिस्टिलरी उद्योग | ३५००० | | |
| २३ | जमिन मुनिको पानी सम्बन्धी उद्योग | २०००० | | |
| २४ | सिरक डस्ना उद्योग | ५००० | | |
| २५ | सिमेन्टको रिङ्ग/ब्लक बनाउने उद्योग | ५००० | | |

**ग. मर्मत तथा सेवा व्यवसाय**

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण रु. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रु. ५ लाख सम्म | रु. ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म | रु. १० लाख भन्दा माथि |
| १ | टेलिफोन, फ्याक्स, फोटोकपी, मोबाईल, घडी, फोन सेवा, आई.एस.टि.डि, एस.टि.डि, ईन्टरनेट मर्मत, कम्प्युटर, रेफ्रिजेरेटर, टाईपिङ्ग सेवा, ग्याँस चुलो/प्रेसर कुकर/वाटर पम्प, साईकल तथा टेलिभिजन | २००० | ४००० | ६००० |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मर्मत लगायत अन्य सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिक सामग्रीहरु मर्मत | | | |
| २ | मोटरसाईकल वर्कशप/ सर्भिसिङ | ७००० | ८००० | ११००० |
| ३ | कार तथा मोटरसाईकल वासिङ्ग सेन्टर | ५००० | ७००० | १०००० |
| ४ | कार, ट्रक, बस सर्भिसिङ्ग सेन्टर | १२००० | १५००० | २०००० |
| ५ | कार तथा मोटरसाईकल ट्रायल सेन्टर | १०००० | १३००० | १८००० |

## घ. मनोरञ्जन तथा सूचना प्रवाह व्यवसाय

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रु. ५ लाख सम्म | रु. ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म | रु. १० लाख भन्दा माथि |
| १ | पार्क तथा पिकनिक स्पट | २००० | ३००० | ४००० |
| २ | टेलिभिजन स्टेसन | ७००० | १०००० | १४००० |
| ३ | रेडियो एफ.एम. | ५००० | ७००० | १०००० |
| ४ | स्विमिङ्गपुल तथा फिटनेश सेन्टर | ७००० | १०००० | १५००० |
| ५ | योगा तथा जुम्बा | ३००० | ५००० | ७००० |
| ६ | तालिम केन्द्र | १००० | १२०० | १५०० |
| ७ | फुटसल तथा अन्य खेलकुद | १०००० | १५००० | १८००० |
| ८ | केबुल नेटवर्क | ७००० | १०००० | १२००० |
| ९ | चलचित्र प्रदर्शन घर | ७००० | १०००० | १४००० |
| १० | पुलहाउस/स्नोकर | ५००० | ७००० | १०००० |
| ११ | साईबर तथा ईन्टरनेट क्याफे | ३००० | ५००० | ८००० |
| १२ | विभिन्न किसिमका अनलाईन मिडिया तथा न्युज पोर्टलहरु | २००० | ४००० | ६००० |
| १३ | चलचित्र निर्माण कम्पनी | ५००० | ७००० | १०००० |
| १४ | चलचित्र वितरक कम्पनी | १०००० | १५००० | २०००० |
| १५ | डान्स ट्रेनिङ सेन्टर /म्युजिक ट्रेनिङ सेन्टर | ५००० | | |
| १६ | कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर/सफ्टवेयर कम्पनी | ७००० | | |

## ङ. विशेष परामर्श तथा अन्य व्यावसायिक सेवा

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रु. ५ लाख सम्म | रु. ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म | रु. १० लाख भन्दा माथि |
| १ | परामर्श सेवा | १००० | २००० | ३००० |
| २ | कानुन व्यवसायी | १००० | १५०० | ३००० |
| ३ | ईन्जिनियरिङ्ग तथा कन्सल्टेन्सी | ५००० | ७००० | १०००० |
| ४ | सुधार केन्द्र | ५००० | १०००० | १५००० |
| ५ | अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता | ३००० | ४००० | ५००० |
| ६ | लेखापरिक्षक | | | |
| | क वर्ग | १०००० | | |
| | ख वर्ग | ८००० | | |
| | ग वर्ग | ५००० | | |
| | घ वर्ग | ३००० | | |
| | सि.ए. | १०००० | | |
| ७ | कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर | | | |
| | क. श्रेणी विज्ञ | | ५००० | |
| | ख. श्रेणी सामान्य | | २००० | |
| ८ | विमा अभिकर्ता/एजेन्ट | | २००० | |
| ९ | सर्भेयर फर्म | | ५००० | |
| १० | अनुवादक/नोटरी पब्लिक | | ३००० | |
| ११ | संस्थागत पेन्टर | | ५००० | |
| १२ | सामान्य पेन्टर (फ्लेक्स, व्यानर ईत्यादि समेत) | | १००० | |
| १३ | सञ्चार सेवा हुलाक चिठीपत्र कुरियर | | १००० | |
| १४ | धितोपत्र (शेयर) कारोबारवाला | | ५००० | |
| १५ | विज्ञापन एजेन्सी | | ३००० | |
| १६ | वैदेशिक रोजगार सेवा | | १५००० | |
| १७ | स्वदेशी रोजगार | | २००० | |
| १८ | शेयर ब्रोकर | | २००० | |
| १९ | जुत्ता सिउने पसल | | ५०० | |
| २० | शैलुन | | २००० | |
| २१ | कल सेन्टर | | ३००० | |
| २२ | मोटरसाईकल/स्कुटर ड्राईभिङ सेन्टर | | ७००० | |
| २३ | मोटर लाईट/हेभी ड्राईभिङ सेन्टर | | १०००० | |

| | | |
|---|---|---|
| २४ | कुरियर तथा पार्सल | ५००० |
| २५ | अनलाईन डेलिभरी सर्भिस/कम्पनी | २००० |
| २६ | सेक्युरिटी गार्ड कम्पनी | १०००० |
| २७ | ज्योतिस परामर्श सेवा | २००० |
| २८ | लेखापढी फर्म | २००० |
| २९ | भन्सार एजेन्ट | १०००० |
| ३० | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता तथा नविकरण | १०००० |
| ३१ | २ पांग्रे सवारी साधनद्धारा हुने Ride Hailing / Ride Service | ५००० |
| ३२ | पार्किङ्ग व्यवसाय(भुमिगत स्थानमा) | १०००० |
| ३३ | पार्किङ्ग व्यवसाय(खुला स्थानमा) | १५००० |

**च. निर्माण व्यवसाय**

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | निर्माण व्यवसाय र इजाजत | |
| | क वर्ग | २५००० |
| | ख वर्ग | २०००० |
| | ग वर्ग | १५००० |
| | घ वर्ग(इजाजत पत्र) | १०००० |
| २ | घ वर्ग निर्माण इजाजत पत्र नवीकरण(असोज मसान्त सम्म) | ५००० |
| ३ | घ वर्ग निर्माण इजाजत पत्र नवीकरण(कार्तिक देखि चैत्र मसान्त सम्म) | ८००० |
| ४ | घ वर्ग निर्माण व्यवसाय प्रा.लि. मा परिणत | १०००० |
| ५ | घ वर्ग निर्माण व्यवसाय ठाउँसारी/नामसारी | २००० |
| ६ | कम्पनीको नाम परिवर्तन तथा थप/घट | १५०० |
| ७ | कम्पनीको सञ्चालक/प्रोपाइटर परिवर्तन तथा थप/घट | १५०० |
| ८ | इजाजत पत्र प्रतिलिपि | १५०० |
| ९ | घ वर्ग व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण | १०००० |

**छ. वित्तीय व्यवसाय**

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.) | |
|---|---|---|---|
| | | व्याख्या | दर रु. |
| १ | वाणिज्य बैङ्क (केन्द्रीय कार्यालय | | ८०००० |
| २ | वाणिज्य बैङ्क (शाखा कार्यालय) | प्रति शाखा | ४०००० |
| ३ | वाणिज्य बैङ्क (विस्तारित काउण्टर) | | १५००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४ | विकास बैङ्क (केन्द्रीय कार्यालय) | | ६०००० |
| ५ | विकास बैङ्क (शाखा कार्यालय) | प्रति शाखा | ३०००० |
| ६ | विकास बैङ्क (विस्तारित काउण्टर) | | १०००० |
| ७ | फाइनान्स कम्पनी (केन्द्रीय कार्यालय) | | ४०००० |
| ८ | फाइनान्स कम्पनी (शाखा कार्यालय) | प्रति शाखा | २०००० |
| ९ | सहकारी बैङ्क (केन्द्रीय कार्यालय) | | २५००० |
| १० | सहकारी बैङ्क शाखा कार्यालय | | १०००० |
| ११ | लघुवित्त कम्पनी (केन्द्रीय कार्यालय) | | २०००० |
| १२ | लघुवित्त कम्पनी (शाखा कार्यालय) | प्रति शाखा | ५००० |
| १३ | **सहकारी संस्था** | | |
| | क. बचत तथा ऋण | ५००० | |
| | ख. बहुउद्धेश्यीय | ६००० | |
| | ग. कृषि | ३००० | |
| | घ. महिला सहकारी संस्था | ३००० | |
| १४ | सहकारी संस्थाको शाखा, सम्पर्क कार्यालय | प्रति एकाई | ३००० |
| १५ | मनी एक्सचेन्ज कम्पनी केन्द्र | | १०००० |
| १६ | मनी एक्सचेन्ज काउन्टर, शाखा | प्रति शाखा | ५००० |
| १७ | रेमिट कम्पनी / मनी ट्रान्सफर | प्रति एकाई | ५००० |
| १८ | बीमा कम्पनी (केन्द्रीय कार्यालय) | | ४०००० |
| १९ | बीमा कम्पनी (शाखा कार्यालय) | प्रति शाखा | २०००० |
| २० | आर्थिक कारोबार (शेयर कारोबार वा अन्य आर्थिक कारोबार) गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी | | १०००० |
| २१ | शेयर रजिस्टर गर्न कार्यालय (सेक्युरिटिज कम्पनी) | | २५००० |
| २२ | बैङ्क तथा वित्तीय सस्थाको ATM बुथ (शाखा कार्यालय भएको ठाउँमा लागू नहुने) | | ५००० |

**ज. स्वास्थ्य तथा सेवा व्यवसाय**

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रु. ५ लाख सम्म | रु. ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म | रु. १० लाख भन्दा माथि |
| १ | **निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर** | | | | |
| | क. २५ शैयासम्म | केन्द्र | २०००० | | |
| | | शाखा | १०००० | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ख. २६-५० शैयासम्म | केन्द्र | ६०००० | | |
| | | शाखा | ३०००० | | |
| | ग. ५० शैया भन्दा माथि | केन्द्र | ८०००० | | |
| | | शाखा | ४०००० | | |
| २ | नर्सिङ्गहोम | | २०००० | | |
| ३ | सामुदायिक अस्पताल | | १०००० | १५००० | २०००० |
| ४ | क्लिनिक | | ५००० | ७००० | १०००० |
| ५ | ल्याब | | ५००० | ७००० | १०००० |
| ६ | फिजियोथेरापी | | ५००० | ७००० | १०००० |
| ७ | दन्त परिक्षक/आँखा परिक्षण | | २५०० | ४००० | ६००० |
| ८ | आर्युवेदिक उपचार केन्द्र | | २००० | ३००० | ५००० |
| ९ | फार्मेसी | | ५००० | १०००० | २०००० |
| १० | **पोलिक्लिनिक र डाइग्नोस्टीक सेन्टर** | | | | |
| | क. X-ray, MMRI, CT Scann, Lab सहित | | २०००० | | |
| | ख. X-ray र Lab | | १५००० | | |
| | ग. साधारण | | १०००० | | |

**झ. भोजन, आवाश, सत्कार, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय**

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रु. ५ लाख सम्म | रु. ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म | रु. १० लाख भन्दा माथि |
| १ | साधारण रेस्टुरेन्ट/भोजनालय | २००० | ३००० | ५००० |
| २ | जलपान पसल तथा चियाकफी | १००० | २००० | ३००० |
| ३ | मिठाई पसल | २००० | ३००० | ५००० |
| ४ | गर्ल्स तथा ब्वाईज होस्टेलः | | | |
| | क. ५० जना सम्मको क्षमता भएको | ५००० | ८००० | १२००० |
| | ख. ५० जना भन्दा बढीको क्षमता भएको | ७००० | १०००० | १५००० |
| ५ | क्याफे, फास्टफुड | ३००० | ५००० | १०००० |
| ६ | होमस्टे राखी व्यवसाय गर्ने प्रति घर | २००० | ४००० | ६००० |
| ७ | पार्टि प्यालेस | १२००० | १५००० | २०००० |
| ८ | **तारे होटल** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | क. पाँच तारे | ७५००० |
| | ख. चार तारे | ६५००० |
| | ग. तिन तारे | ५०००० |
| | घ. दुई तारे | ३०००० |
| | ङ. एक तारे | २०००० |
| ९ | रेस्टुरेण्ट एण्ड बार (डान्स, दोहोरी सहित) | २०००० |
| १० | रेस्टुरेण्ट एण्ड बार (डान्स, दोहोरी बाहेक) | १०००० |
| ११ | होटल तथा गेष्ट हाउस १५ कोठा सम्म | १५००० |
| १२ | होटल तथा गेष्ट हाउस १५ कोठा भन्दा माथि | २०००० |
| १३ | क्यासिनो | १००००० |
| १४ | ट्राावल एजेन्सी | ५००० |
| १५ | ट्रेकिङ एजेन्सी | ५००० |
| १६ | ट्राावल एण्ड ट्रेकिङ एजेन्सी | ८००० |
| १७ | डिस्को थेक, नाईट क्लव | २०००० |
| १८ | मसाज पार्लर, स्पा, ज्याकुजी लगायत अन्य यस्तै प्रकृतिका व्यवसाय | १०००० |

**ञ. कृषि, पशु तथा वन पैदावर उद्योग व्यवसाय**

| क्र.स. | व्यवसायको विवरण | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | रु. ५ लाख सम्म | रु. ५ लाख भन्दा माथि १० लाख सम्म | रु. १० लाख भन्दा माथि |
| १ | पशुचिकित्सक | २००० | २५०० | ३००० |
| २ | पशु चिकित्सा क्लिनिक | ५००० | ७००० | ९००० |
| ३ | औषधी पसल/भेटेरिनरी तथा सर्जिकल ईक्विपमेन्ट पसल | ३००० | ५००० | ७००० |
| ४ | पशु तथा कृषि सम्बन्धी व्यवसाय | ३००० | ३५०० | ४००० |
| ५ | नर्सरी | २००० | २५०० | ३००० |
| ६ | कृषि समूह दर्ता | १०० | | |

## ट. शिक्षा तर्फ

| क्र.सं. | विवरण | दर(रु.) |
|---|---|---|
| १ | शिशु स्याहार केन्द्र | २००० |
| २ | पूर्व प्राथमिक/ मन्टेश्वरी | १२००० |
| ३ | **आधारभुत तहका विद्यालयहरु** | |
| | विशिष्ट श्रेणी | २५००० |
| | क वर्ग | २०००० |
| | ख वर्ग | १८००० |
| | ग वर्ग | १७००० |
| | घ वर्ग | १५००० |
| ४ | मा.वि. तह | |
| | विशिष्ट श्रेणी | ५०००० |
| | क वर्ग | ४०००० |
| | ख वर्ग | ३०००० |
| | ग वर्ग | २५००० |
| | घ वर्ग | २०००० |
| ५ | कम्प्युटर तथा विदेशी भाषा प्रशिक्षण केन्द्र | ५००० |
| ६ | ट्युसन सेन्टर तथा अन्य ईन्स्टिच्यूट | ३००० |

## ठ. अन्य कम्पनी

| क्र.स. | विवरण | पुँजीको आधारमा वार्षिक दर्ता तथा नवीकरण (रु.) |
|---|---|---|
| १ | क. वर्ग (रु. ५ लाख सम्म) | ५००० |
| २ | ख. वर्ग (रु. ५ लाख देखि २० लाख सम्म) | ७००० |
| ३ | ग. वर्ग (रु.२० लाख देखि ५० लाख सम्म) | १०००० |
| ४ | घ. वर्ग (रु. ५० लाख देखि १ करोड सम्म) | १५००० |
| ५ | ङ. १ करोड भन्दा माथी | २५००० |
| ६ | **हाउजिङ्ग कम्पनी** | |
| | क. वर्ग ( १ करोड सम्म) | ३०००० |
| | ख. वर्ग (१ करोड भन्दा माथी) | ५०००० |
| ७ | ज्वाइन्ट भेन्चर (जे.भी.) स्वदेशी | ५००० |
| ८ | अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक संघसंस्था /अन्तराष्ट्रिय ज्वाइन्ट भेन्चर | ५०००० |

१. व्यवसाय करको बक्यौता रकम बाँकी रहेको देखिएमा सो बक्यौता रकमको वार्षिक दश प्रतिशत (१०%) जरिबाना लाग्नेछ ।

२. कुनैपनि व्यवसायीले एउटै पसलमा किराना, सुर्तीजन्य, मदिरा लगायत भिन्न किसिमका व्यवसाय गरेमा सोही अनुसार भिन्न भिन्न व्यवसायको करहरु एकमुस्ट रुपमा असुल उपर गरिनेछ ।

३. नगरपालिका भित्र माथि उल्लेखित कुनैपनि नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्दा उल्लेखित व्यवसाय करको अतिरिक्त रु. ५ लाख सम्मका साना प्रति व्यवसायलाई रु. २५० र ठूला रु. ५ लाख भन्दा माथिकालाई प्रति व्यवसाय रु. ५०० (पाँच सय) दर्ता शुल्क लाग्नेछ ।

४. यस नगरपालिकामा विदेशी नागरिकहरुले व्यवसाय गर्न चाहेमा साना व्यवसाय (५ लाखसम्म) को हकमा रु. १५,०००।- (पन्ध्र हजार) र ठूला व्यवसाय (५ लाख भन्दा माथी) को हकमा रु. ३०,०००।- (तिस हजार) नगरपालिकाको धरौटी खातामा जम्मा गरी सम्बन्धित घरधनी तथा प्रतिनिधि साक्षी राखी दर्ता गर्न निवेदन दिन सक्नेछ र व्यवसाय करको हकमा नगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवसाय करको दोब्बर कर लिईने छ ।

५. आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लाई आधार वर्षको रुपमा लिई सो आ.व. बाट मात्रै व्यवसाय कर असुल गरिनेछ ।

६. व्यवसाय एकाघरका परिवारमा बाहेक एक व्यक्तिवाट अर्को व्यक्तिमा नामसारी नहुने, दोश्रो व्यक्तिको नाममा लैजानु पर्ने भएमा पहिलो व्यक्तिको नाममा रहेको व्यवसाय बन्द गरी अर्को व्यक्तिको नाममा नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

७. कम्पनीको हकमा उद्योग बाणिज्यले जारी गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित चालु पूँजी तथा सो वर्षको चुक्ता पुँजीको आधारमा व्यवसाय दर्ता गरिनेछ र अन्यको हकमा निवेदकले पेश गरेको चालु पुँजीको आधारमा व्यवसाय दर्ता गरिनेछ।

## अनुसूची - ५

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

## जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६१ बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रभित्र निम्न अनुसार जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर लगाईनेछः

| क्र.स. | विवरण | आ.व २०८१।०८२ को दर(रु.) |
|---|---|---|
| | जडिबुटि, कवाडी र जीवजन्तु कर जडिबुटीको कारोबार शुल्क | |
| १ | छाला, हाड र सिङ | |
| | क. छाला ठुला (प्रति ब.फि.) | ५ |
| | ख. छाला सानो (प्रति ब.फि.) | ५ |
| | ग. हाड (प्रतिकिलो) | ५ |
| | घ. सिंङ, खुर, भुत्ला, प्वाँख (प्रतिकिलो) | १ |
| २ | कवाडी | |
| | क. खाली सि.सि, वियर बोतल (प्रतिगोटा) | ०.५० |
| | ख. खाली सि.सि (मदिरा तथा अन्य ५०० मि.लि भन्दा माथि प्रति बोतल) | ०.५० |
| | ग. खाली सि.सि (मदिरा तथा अन्य ५०० मि.लि भन्दा कम प्रति बोतल) | ०.५० |
| | घ. प्लाष्टिक बोतल, पुराना भाँडाकुँडा, जुत्ता चप्पल, ग्यालिन, जर्किन (प्रतिगोटा) | ०.५० |
| ३ | खाली बोरा | |
| | क. ५० के.जि सम्मको प्लाष्टिकको खाली बोरा (प्रति गोटा) | ०.२५ |
| | ख. ५० के.जि सम्मको जुटको खाली बोरा (प्रति गोटा) | ०.२५ |
| ४ | तेलको टिन | |
| | १० लि. सम्मको (प्रति गोटा) | १ |
| | १० लि. भन्दा माथिको (प्रति गोटा) | २ |
| ५ | प्राकृतिक तथा कृत्रिम सामान | |
| | गार्मेन्ट, कपडाको टुक्रा, टायर, ट्युब, पुरानो ड्रम, पुरानो कागज (प्रति के.जि) | ०.५० |
| ६ | धातुका टुक्रा | |
| | क. फलाम प्रति के.जी | १ |
| | ख. अन्य धातु (पित्तल, तामा, ढलोट आदि प्रति केजी) | १ |

| | | |
|---|---|---|
| | ग. थोत्रिएर काम नलाग्ने मेसिनरी औजार (प्रति के.जी) | २ |
| ७ | पोलिथिन, प्लाष्टिजन्य सामाग्री तथा पाईपका टुक्राहरु (प्रति के.जी) | १ |
| ८ | सिसा, पुराना व्याट्रि, लिडको धुलो (प्रति के.जी) | १ |
| ९ | काँचको टुक्रा (प्रति के.जी) | १ |
| *पुनश्चः छ्यासमिस धातुजन्य बस्तु प्रति ट्रिपर रु. १०,०००।-* | | |

**अनुसूची - ६**

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

**सवारी साधन कर**

सवारी साधन कर प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । नगरपालिका भित्रका टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा, ई-रिक्साको सवारी साधन करको दर निम्न अनुसार हुनेछः

| क्र.स | विवरण | आ.व २०८१।०८२ को दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र ई-रिक्सा (दर्ता / नवीकरण /नामसारी ) | १००० |

## अनुसूची - ७

(दफा ८ सँग सम्बन्धित)

## विज्ञापन कर

नगरपालिका क्षेत्रभित्र निम्न अनुसारको विज्ञापन कर लागु गरी असुलउपर गरिनेछः

| क्र.सं. | विवरण | आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दर रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | होर्डिङ्ग बोर्डबाट गरिने विज्ञापन प्रति वर्ग फुट (वार्षिक) | | |
| १.१ | फ्लेक्स प्रिन्ट, साईनबोर्ड जस्ता/मेटल, होर्डिङ्ग बोर्ड (धातुको फ्रेम) | २०० | |
| १.२ | रोलर बोर्ड, ग्लो साईनबोर्ड, नियोन साईनबोर्ड, टु.डि.(2D) र थ्रि.डि.(3D) बोर्ड, ए.सि.पी.(ACP) बोर्ड ट्राई भिजन बोर्ड, स्कोलर बोर्ड, डि.पि.एस. बोर्ड र यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापन | ५०० | |
| १.३ | डिजिटल डिस्प्ले, चलदृश्य बोर्ड, एल.सि.डी. बोर्ड, लिड बोर्ड, प्रोजेक्टर, स्टल डिस्प्ले, चलचित्र बोर्ड र यस्तै प्रकृतिका अन्य विज्ञापन | ७०० | |
| २ | स्काई साईन विज्ञापन( चङ्गा, बेलुन, प्यारासुट र अन्य) प्रतिगोटा प्रतिदिन | २५० | |
| ३ | सञ्चार माध्यमबाट हुने विज्ञापन | बिल बमोजिमको रकमको दश(१०) प्रतिशत | |
| ४ | ब्यानर(हस्त लिखित वा प्रिन्ट गरिएको): रोडक्रस ब्यानर, ओभरहेड ब्रिजमा राखिने, गेटमा राखिने व्यानर प्रति वर्ग फुट(वार्षिक) | २०० | |
| ५ | सवारी साधनको दाँयाबाँया पट्टीको भागमा अस्थायी प्रकृतिको बोर्ड राखी गरिने विज्ञापनका लागि प्रति वर्गफुट प्रतिदिन | ५ | |
| ६ | सवारी साधनमा स्थायी रुपमा लेखिएको वा छपिएको प्रचार सामग्रीका लागि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट | २०० | |
| ७ | सवारी साधनद्वारा गरिने विज्ञापन (प्रतिदिन) | | |
| | दुई पाङ्ग्रे/ तीन पाङ्ग्रे | २०० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | चार वा सो भन्दा बढी पाङ्ग्रा भएको सवारी साधन | ५०० | |
| ८ | मेला/व्यापार मेला, खेलकुद कार्यक्रम वा साँस्कृतिक प्रदर्शनी र यस्तै प्रकृतिका अनुमति लिएर गरिने कार्यक्रममा गरिने विज्ञापन बापत सम्बन्धित आयोजकबाट एकमुस्ट | पहिलो दिन ५००० (त्यसपछिको प्रत्येक दिन रु.३०००) | |
| ९ | ट्राफिक आईल्यान्ड प्रति वर्गफुट | २०० | |
| १० | स्टल/स्टेज विज्ञापन प्रतिदिन | २००० | |
| ११ | छाता, ज्याकेट, डमी, सेग्वे तथा Human Billboard द्वारा प्रचारमा प्रतिगोटा प्रतिदिन | २५० | |
| १२ | साना किसिमका व्यावसायिक पोस्टर तथा पम्प्लेट(A4 साईज वा सो भन्दा साना) प्रतिगोटा | ५ | |
| १३ | व्यावसायिक पोस्टर तथा पम्प्लेट(A4 साईज भन्दा ठूला A2 साईज सम्म) प्रतिगोटा | १० | A2 साईज भन्दा ठुला पोस्टर तथा पम्प्लेटबाट विज्ञापन गर्न निषेध गर्ने |
| १४ | स्टिकर प्रति वर्गफुट | २०० | एक वर्ग फुट भन्दा सानो साईजको स्टिकर भए प्रतिगोटा रु. २०० |

पुनश्चः

१. नगरपालिकामा दर्ता/नवीकरण गरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायको परिचयको लागि व्यवसाय सञ्चालन भएको स्थानमा बिस(२०) वर्ग फुट सम्मको परिचयपाटिको विज्ञापन कर लाग्ने छैन तर त्यस्तो परिचय पाटीमा विज्ञापन गर्ने उद्देश्यले अन्य उत्पादनको प्रचार प्रसार सामाग्री राखिएको भए त्यस्तो परिचयपाटीको पुरै विज्ञापन कर लाग्नेछ।

२. विज्ञापन सामग्रीको प्रति वर्षमा दर तोकिए पनि सोही अनुपातमा आवश्यकता अनुसार समयावधी तोकेर लिन पाईनेछ । समय समाप्त भए पश्चात विज्ञापन सामग्री हटाउने जिम्मा विज्ञापनदाताकै हुनेछ । समय समाप्त भए पश्चात समेत विज्ञापन सामग्री नहटाएमा नगरपालिकाबाट नै हटाई सो कार्यमा खर्च भएको रकम र सो रकम बराबरको २५ प्रतिशत जरिबाना सहित असुल उपर गरिनेछ ।

३. विदेशी तथा मल्टिनेश्नल कम्पनीहरुको विज्ञापन सामग्रीहरुमा माथि उल्लेखित करको दोब्बर दरमा विज्ञापन कर लिइने छ ।

४. विज्ञापन कर व्यवस्थापनका लागि यस ऐनमा भएको व्यवस्था र नगरपालिकाको "विज्ञापन कर (व्यवस्थापन तथा नियमन) ऐन, २०८१" बमोजिम हुनेछ।

**अनुसूची - ८**

(दफा १० सँग सम्बन्धित)

**बहाल बिटौरी शुल्क**

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५९ बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण गरेका, रेखदेखमा वा सञ्चालनमा रहेका बजारहरुको बहाल बिटौरी शुल्क निम्न अनुसार लगाई असुल उपर गरिनेछः

| क्र.स | विवरण | आ.व २०८१।०८२ को दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | साधारण पसल तथा बजार (प्रतिदिन) | ५० |
| २ | ट्रली तथा ठेलागाडामा राखी सञ्चालन गरेका पसल (प्रतिदिन) | ५० |
| ३ | व्यावसायिक प्रयोजनका प्रती स्टल (प्रति दिन) | ५००० |

**अनुसूची - ९**

(दफा ११ सँग सम्बन्धित)

**पार्किङ शुल्क**

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६० बमोजिम नगरपालिका क्षेत्रभित्र निम्न अनुसार सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछः

| क्र.स. | सवारीको विवरण | प्रति घण्टा दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | दुई पाङ्ग्रे/तीन पाङ्ग्रे | १० |
| २ | चार पाङ्ग्रे | १५ |
| ३ | चार पाङ्ग्रे भन्दा माथि | २५ |

## अनुसूची -१०

(दफा १२ सँग सम्बन्धित)

## सेवा शुल्क तथा दस्तुर

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा तथा सिफारिसको शुल्क र दस्तुर निम्न अनुसार कायम गरिएको छः

| क्र.स. | विवरण | आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दर (रु.) |
|---|---|---|
| १ | क. नागरिकता सिफारिस र नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस<br>ख. नाबालक परिचयपत्र सिफारिस,<br>ग. करचुक्ता सिफारिस,<br>घ. नाता प्रमाणित (हक खुलाउने)<br>ङ. छात्रवृत्ति सिफारिस<br>च. कमजोर आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सिफारिस<br>छ. अदालत शुल्क मिनाहा<br>ज. विपन्न र स्वास्थ्य उपचार सिफारिस<br>झ. व्यक्तिको अवस्था (जिवित) सिफारिस<br>ञ. आदिवासी, अपाङ्ग, दलित, जनजाति सिफारिस<br>ट. निवेदन दस्तुर/रोक्का निवेदन/उजुरी | निःशुल्क |
| २ | **विविध सिफारिसहरु** | |
| | क. जग्गा नामसारी सिफारिस,<br>ख. जोत नामसारी सिफारिस<br>ग. पुर्जामा फोटोटाँस सिफारिस<br>घ. नामथर संशोधन सिफारिस<br>ङ. गुठी रैथानी सिफारिस<br>च. बुथ सिफारिस<br>छ. प्रतिलिपि सिफारिस<br>ज. सुचना टाँस सिफारिस<br>झ. भवन तथा घर मर्मत सिफारिस<br>ञ. घर कायम सिफारिस<br>ट. जन्ममिति प्रमाणित (अंग्रेजी र नेपाली दुवै) सिफारिस<br>ठ. वैवाहिक स्थिति प्रमाणिकरण (अंग्रेजी र नेपाली दुवै) सिफारिस | ५०० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ड. नाता कायम (अंग्रेजी र नेपाली दुवै) सिफारिस<br>ढ. तिनपुस्ते फोटो टाँस सिफारिस<br>ण. अंग्रेजीमा नाबालक प्रमाणित सिफारिस<br>त. चारित्रिक प्रमाणित सिफारिस<br>थ. राहदानी सिफारिस<br>द. जन्म मिति संशोधन सिफारिस<br>ध. अन्य सिफारिस | | |
| यस नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुबाट नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा सिफारिस गर्दा कुनै शुल्क दस्तुर लाग्ने छैन । | | | |
| ३ | **घर/कोठा खोल्ने सर्जमिन मुचुल्का** | | |
| | क. कोठा खोलेको | १००० | बहालकर तिरेको प्रमाण प्राप्त भए पश्चात मात्र |
| | ख. तल्ला खोलेको | २००० | |
| | ग. घर खोलेको | ३००० | |
| ४ | मोही लगत कट्टा सिफारस (एकाघर) | ५०० | |
| ५ | मोही लगत कट्टा सिफारस (एकाघर भन्दा बाहिर) | २००० | |
| ६ | जग्गा दर्ता नामसारी सिफारिस | २००० | |
| ७ | **विद्युत लाइन जडान सिफारिस** | | |
| | क. साधारण | ५०० | |
| | ख. व्यावसायिक र थ्रिफेज लाइन | १०००० | |
| ८ | व्यवसाय बन्द सिफारिस | १००० | |
| ९ | उद्योग नामसारी (माथिल्ला निकायको सिफारिस भएको हकमा) | २००० | |
| १० | उद्योग ठाउँसारी (एक वडाबाट अर्को वडा भएमा मात्र) | १००० | |
| ११ | उद्योग टहरा नामसारी सिफारिस (प्रति वर्ग फिट) | ४ | |
| १२ | **बसोबास प्रमाणित (अङ्ग्रेजी वा नेपाली)** | | |
| | क. स्वदेशी | ५०० | |
| | ख. विदेशी सार्क राष्ट्रका नागरिक | ३००० | |
| | ग. विदेशी सार्क राष्ट्र बाहेकका नागरिक | ५००० | |
| १३ | सम्पत्ति मूल्याङ्कन सिफारिस दस्तुर (सम्बन्धित क्याम्पस, विश्वविद्यालयबाट वा विद्यार्थी भइ अध्ययनको लागि जान लागेको विवरण खुल्ने आवश्यक कागजात पेश गरेको खण्डमा ७५ प्रतिशत छुट गरिनेछ ।) | ०.२५% | |

| | | |
|---|---|---|
| १४ | आयश्रोत प्रमाणित सिफारिस दस्तुर (सम्बन्धीत क्याम्पस, विश्वविद्यालयबाट वा विद्यार्थी भई अध्ययनको लागि जान लागेको विवरण खुल्ने आवश्यक कागजात पेश गरेको खण्डमा ७५ प्रतिशत छुट गरिनेछ ।) | ०.२५% |
| १५ | व्यक्तिगत जग्गा विवादमा अमिन खटाएको प्रति निवेदन वा प्रति घर/कित्ता | १००० |
| १६ | **चारकिल्ला सिफारिस दस्तुर** | |
| | क. न्यूनतम | ५०० |
| | ख. बाटो नभएको प्रति आना | ७५ |
| | ग. गोरेटो बाटो प्रति आना | १०० |
| | घ. कच्ची मोटरबाटो प्रति आना | १५० |
| | ङ. सहायक पिच बाटो प्रति आना | १७५ |
| | च. मुल पिच बाटो प्रति आना | २०० |
| १७ | **घरबाटो सिफारिस दस्तुर** | |
| | क. न्यूनतम | १००० |
| | ख. बाटो नभएको प्रति आना | ३०० |
| | ग. गोरेटो बाटो प्रति आना | ४०० |
| | घ. कच्ची मोटरबाटो प्रति आना | ५०० |
| | ङ. सहायक पिच बाटो प्रति आना | ७०० |
| | च. मुल पिच बाटो प्रति आना | १००० |
| १८ | **अंशवण्डा प्रयोजनका लागि** | |
| | छ. तिनपुस्ते भित्र १ रोपनीसम्म | २००० |
| | ज. तिनपुस्ते भित्र ३ रोपनीसम्म | ३००० |
| | झ. ३ रोपनी भन्दा माथि जति भए पनि | ५००० |
| **घरबाटो सिफारिस गर्दा जग्गाधनीले पेश गरेको कित्ता अनुसार जतिसुकै क्षेत्रफल भएतापनि निवेदकले माग गरे बमोजिमको क्षेत्रफलको आधारमा असुल गरिनेछ ।** | | |
| १९ | स्थलगत सर्जमिन (मृतकसँगको नाता प्रमाणित र नागरिकता सिफारिस बाहेक | १००० |
| २० | **व्यक्तिगत घटना दर्ता/पञ्जीकरण** | |
| | क. ३५ दिनभित्र जुनसुकै घटना दर्ता | निःशुल्क |
| | ख. ३५ दिन पश्चात जुनसुकै घटना दर्ताको विलम्ब शुल्क | २०० |
| | ग. जुनसुकै घटना दर्ता प्रतिलिपी | ५०० |

| | | |
|---|---|---|
| | घ. जुनसुकै घटना दर्ताको अभिलेख हेरेको दस्तुर | २०० |
| २१ | सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्रको प्रतिलिपी (हराएको वा नासिएको हकमा मात्र) | १०० |
| २२ | धरौटी तथा मोहिवाला जग्गा धनीलाई भुक्तानी दिँदा सेवा शुल्क | १०% |
| २३ | **बोरिङ स्वीकृत दिए बापत** | |
| | क. व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि | १५०० |
| | ख. व्यावसायिक प्रयोजनका लागि | १५००० |
| २४ | तोकिएको मितिभित्र सहकारीले प्रतिवेदन नबुझाएमा जरिबाना | २००० |
| २५ | सहकारीले मासिक विवरण नबुझाएमा | १००० |
| २६ | संस्था दर्ता तथा नविकरण | १००० |
| २७ | योजना सम्झौता फाराम दस्तुर | १०० |
| २८ | ट्रेस नक्सा तथा ब्लुप्रिन्ट निकाल्न सिफारिस | ५०० |
| २९ | **न्यायिक समितिमा लाग्ने दस्तुर** | |
| | क. साधारण फिराद दस्तुर | २०० |
| | ख. प्रतिउत्तर पत्र दस्तुर | २०० |
| | ग. फैसला कार्यान्वयन निवेदन दस्तुर | १०० |
| | घ.नक्कल दस्तुर (प्रति पाना) | ५ |
| | ङ. अन्य साधारण निवेदन | १० |
| | च. वकालतनामा | १० |
| | छ. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) (च), (छ) र घरेलु हिंसा र मानाचामल सम्बन्धी फिराद दस्तुर | निःशुल्क |
| | ज. मिलापत्र प्रमाणित दस्तुर | २०० |
| | झ. घर बहाल सम्बन्धी मिलापत्र | नियमानुसार लाग्ने घरबहाल कर सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने |
| | ञ. फिराद दस्तुर (आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी) | ५०० |
| ३० | **आर्थिक लेनदेन/बैना/विगो/क्षतिपुर्ति आदि सम्बन्धी मिलापत्र दस्तुर** | |

| | | |
|---|---|---|
| | रु. २५ लाखसम्म | १००० |
| | रु. ५० लाखसम्म | २००० |
| | रु. १ करोड सम्म | ५००० |
| | रु. १ करोड भन्दा माथी | १५००० |
| ३१ | वडाबाट लिखत पास तथा लेनदेन प्रमाणित दस्तुर | २०० |
| | क. रु. ५० लाख सम्मको लागि (सेवा शुल्क) | ०.०३ प्रतिशत |
| | ख. रु. ५० लाख भन्दा माथि (सेवा शुल्क) | ०.०५ प्रतिशत |
| ३२ | **नयाँ विद्यालय खोल्ने तथा शिक्षा सम्बन्धी सिफारिस** | |
| | शिशु स्याहार केन्द्र | ३००० |
| | पूर्व प्राथमिक र मन्टेश्वरी सम्म | ५००० |
| | आधारभुत तहका विद्यालय | १०००० |
| | मा.वि. तह वा सो भन्दा माथि | २०००० |
| | अपग्रेडको लागि (प्रति ग्रेड) | २००० |
| | प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि शैक्षिक संस्थाले बुझाउनु पर्ने शुल्क | ५००० |
| | शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधन सिफारिस | ५०० |
| | सरुवा सहमति | १००० |
| | विद्यालय नाम परिवर्तन सिफारिस | २००० |
| | पूर्व प्राथमिक संस्थागत विद्यालय स्थानान्तरण सूचना प्रकाशन | ५००० |
| | आधारभूत संस्थागत विद्यालय स्थानान्तरण सूचना प्रकाशन | १०००० |
| | माध्यमिक संस्थागत विद्यालय स्थानान्तरण सूचना प्रकाशन | १५००० |
| | पूर्व प्राथमिक संस्थागत विद्यालय अध्यक्ष मनोनयन | ५०० |
| | आधारभूत संस्थागत विद्यालय अध्यक्ष मनोनयन | १००० |
| | माध्यामिक संस्थागत विद्यालय अध्यक्ष मनोनयन | १५०० |

| | | |
|---|---|---|
| | मुद्धती खाता नवीकरण/दस्तखत परिवर्तन/खाता खोल्न (रु. ५०,०००।- सम्मको भए) | ५०० |
| | मुद्धती खाता नवीकरण/दस्तखत परिवर्तन/खाता खोल्न (रु. १,००,०००।- सम्मको भए) | ७०० |
| | मुद्धती खाता नवीकरण/दस्तखत परिवर्तन/खाता खोल्न (रु. १,००,०००।- भन्दा माथि भए) | १००० |
| | पूर्व प्राथमिक संस्थागत विद्यालय स्वामित्व परिवर्तन | ५००० |
| | आधारभूत संस्थागत विद्यालय स्वामित्व परिवर्तन | १०००० |
| | माध्यमिक संस्थागत विद्यालय स्वामित्व परिवर्तन | १५००० |
| ३३ | **व्यावसायिक रुपमा जग्गा कित्ताकाट सिफारिस** | |
| | १ रोपनी भित्र | १०००० |
| | १ रोपनी देखि माथी २ रोपनीसम्म | १५००० |
| | २ रोपनी देखि माथी ३ रोपनीसम्म | २५००० |
| | ३ रोपनी देखि माथि ४ रोपनीसम्म | ३०००० |
| | ४ रोपनी देखि माथि ५ रोपनीसम्म | ३५००० |
| | ५ रोपनी भन्दा माथि | ५०००० |
| ३४ | **अंशवण्डा प्रयोजनका लागि जग्गा कित्ताकाट सिफारिस** | |
| | ३ रोपनीसम्म | ५००० |
| | ३ रोपनी भन्दा माथी | १०००० |
| ३५ | **व्यावसायिक रुपमा डोजर लगाई जग्गा मिलाउन** | |
| | २ रोपनी सम्म | १०००० |
| | २ देखि माथि ५ रोपनीसम्म | २०००० |
| | ५ रोपनी देखि माथि जतिभए पनि | ३०००० |
| ३६ | एकाघरको घर निर्माण प्रयोजनको लागि डोजर लगाई जग्गा मिलाउन | ५००० |
| ३७ | क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि स्वीकृत | ५०००० |
| ३८ | विज्ञापन/गीत/टेलिभिजन कार्यक्रम/सिनेमा/डकुमेन्ट्री लगायतको सुटिङको अनुमति प्रति स्थान | ५००० |

| | | |
|---|---|---|
| | प्रतिदिन(नेपाली तथा अन्य मातृभाषामा) | |
| ३९ | विज्ञापन/गीत/टेलिभिजन कार्यक्रम/सिनेमा/डकुमेन्ट्री लगायतको सुटिङ प्रति स्थान प्रतिदिन(विदेशि भाषामा) | १०००० |
| ४० | अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | १०००० |
| ४१ | वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | २५०० |
| ४२ | गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सिफारिस | ९५०० |
| ४३ | फोहोरमैला सङ्कलनमा संलग्न संस्थाहरुको सूचीकरणका लागि आवेदन फाराम दस्तुर | २००० |
| ४४ | संस्था/कम्पनी सूचीकरण | १००० |
| ४५ | घरपालुवा कुकुर दर्ता शुल्क | ५०० |
| ४६ | घरपालुवा कुकुर नवीकरण शुल्क | १०० |
| ४७ | घरपालुवा बिरालो दर्ता शुल्क | १०० |
| ४८ | घरपालुवा बिरालो नवीकरण शुल्क | ५० |
| चारकिल्ला र घरबाटो तथा अन्य सिफारिस हराएमा तथा सोही बमोजिमको सिफारिस पुनः माग गरेमा, मिति नवीकरण गर्नको लागि निवेदन पेश गरेमा सक्कल प्रति खिचि कैफियत खुलाई वडाध्यक्षबाट प्रमाणित गराई एउटा सिफारिसको वर्षको एकपटक मात्रै राजस्व लिइनेछ। | | |

**नक्सा अनुमति दस्तुर**

| क्र.स | विवरण | स्वीकृत दररेट (रु.) |
|---|---|---|
| १ | नक्सा दरखास्त फाराम | १००० |
| २ | नक्सापास दस्तुर प्रति बर्गफिट | |
| | क. आवासीय | १३ |
| | ख. व्यावसायिक | १६ |
| | ग. संयुक्त आवास भवन/संस्थागत | २२ |
| | घ. आवासीय अस्थायी टहरा (५०० ब.फु. सम्म) एकमुस्ट | २२०० |
| | ङ. आवासीय अस्थायी टहरा (५०० ब.फु. भन्दा माथी) प्रति वर्गफुट | ५ |
| | च. व्यावसायीक टहरा प्रति वर्गफुट | ८ |
| | छ. संस्थागत टहरा प्रति वर्गफिट | १२ |

| | | |
|---|---|---|
| ३ | **स्थलगत निरीक्षण शुल्क/प्राविधिक चेकजाँच/न.पा बाट ईन्जिनियर/सब-ईन्जिनियर खटाउँदा शुल्क बापत** | |
| | आवासीय भवन (अस्थायी इजाजत/निर्माण सम्पन्न प्रयोजनका लागि) | २००० |
| | व्यावसायिक भवन (प्रति घर) | ५००० |
| | संस्थागत भवन (प्रति घर) | १०००० |
| | संयुक्त आवास | |
| | न्युनतम् शुल्क एक रोपनी सम्म | २०००० |
| | एक रोपनी भन्दा बढीको लागि प्रति रोपनी | २०००० |
| ४ | **नक्सा संशोधन तथा तल्ला थप** | |
| | अ. आवासीय | |
| | क. प्रति वर्गफुट | १४ |
| | ख. न्युनतम | ३००० |
| | आ. व्यावसायिक | |
| | क. प्रति वर्गफुट | १८ |
| | ख. न्युनतम | ५००० |
| ५ | इ. संयुक्त आवास/संस्थागत भवन | |
| | क. प्रति वर्गफुट | २५ |
| | ख. न्यूनतम | ३०००० |
| ६ | **निर्माण सम्पन्न** | |
| | क. आवासीय भवन (प्रति घर) | ३००० |
| | ख. व्यावसायिक भवन (प्रति घर) | ५००० |
| | ग. संयुक्त आवास/संस्थागत भवन | |
| | अ. न्युनतम शुल्क एक रोपनी सम्म | १०००० |
| | आ. एक रोपनी भन्दा बढीको लागि प्रति रोपनी | १०००० |
| ७ | नक्सा प्रतिलिपी | २००० |
| | प्रमाणपत्र प्रतिलिपी | २००० |
| ८ | **नक्सा नियमित** | |
| | **क. आवासीय** | |
| | अस्थायी इजाजत प्राप्त गरेको प्रति वर्गफुट | प्रति वर्गफुट रु. ५ वा एकमुस्ट रु. ५००० मा जुन बढी हुन्छ, त्यही लिइनेछ। |

| | | |
|---|---|---|
| | अस्थायी इजाजत नलिएको प्रति वर्गफुट | रु ३९ |
| | **ख. व्यावसायिक** | |
| | अस्थायी इजाजत प्राप्त गरेको प्रति वर्गफुट | प्रति वर्ग वर्गफुट रु. ८ वा एकमुस्ट रु. १०००० मा जुन बढी हुन्छ, त्यही लिइनेछ। |
| | अस्थायी इजाजत नलिएको प्रति वर्गफुट | रु ४८ |
| | | |
| | **ग. संयुक्त आवास/संस्थागत भवन** | |
| | अस्थायी इजाजत प्राप्त गरेको प्रति वर्गफुट | रु १५ |
| | अस्थायी इजाजत प्राप्त नगरेको प्रति वर्गफुट | रु ६६ |
| पुनश्चः नगर कार्यपालिकाले तोकेको समयावधीमा मात्र संयुक्त आवास र संस्थागत भवन नियमित गरिनेछ । | | |
| ९ | नक्सा नवीकरण दस्तुर | नक्सा नवीकरण दस्तुर नक्सापास गर्दा लाग्ने जम्मा दस्तुरको ३० प्रतिशतले हुन आउने दररेटले हिसाब गरी लिने र नवीकरणको अवधी २ बर्षको लागि मात्र हुनेछ । |

क) नक्सा सम्बन्धी कुनै पनि दस्तुर बुझाउँदा सम्बन्धित नक्सा हेर्ने सव-ईन्जिनियरले उक्त नक्सा ठिक दुरुस्त छ भनी वा कुनै कैफियत खुलाई दरखास्त फारामको कर/धरौटी सम्बन्धी महल भरी पेश गरेपश्चात सम्बन्धित ईन्जिनियरले जाँच गरि पठाएपछि मात्र राजस्व बुझिलिने ।

ख) घरनक्सा नवीकरण गर्नको लागि अस्थायी इजाजत प्राप्त गरेको मितिबाट २ वर्ष भित्र निवेदन पेश गरी थप २ वर्षको लागि नवीकरण गरीसक्नुपर्नेछ, सो नगरेको खण्डमा कुल नवीकरण दस्तुरमा थप १० प्रतिशत जरिबाना लाग्ने । नक्सापास भएको मितिबाट ४ वर्षभित्र समेत भवन निर्माण सम्पन्नको लागि पेश नगरेको हकमा नयाँ नक्सापास सरह नवीकरण दस्तुर लाग्ने । साथै नक्सा सम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्दा समयमा नै दर्ता गरी कार्यालयमा फाईल पेश गरेको मितिबाट ३० (तीस) दिन भित्र कार्य सम्पन्न नभई जरीवाना वा अधिक रकम लाग्ने भएमा सम्बन्धित प्राविधिकबाट सो को विलम्ब बारे स्पष्ट रुपमा टिप्पणी उठाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत गराए पश्चात कार्यालयकै कारणबाट विलम्व भएको पाईएमा मात्र सो अधिक रकम छुट गर्न सकिनेछ ।

ग) भवन नक्सापास गर्दा सटर नदेखाउने (आवासीय भवन पास गर्ने) तर निर्माण सम्पन्न गर्ने समयमा सटर राखेको (व्यावसायिक भवन निर्माण गरेको) पाईएमा त्यस्तो भवनलाई नक्सापास गर्दा छली गरेको कुल राजस्वमा थप १५ प्रतिशत जरीवाना लिई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।

घ) साविक गा.वि.स मा नक्सापास गरी हाल सम्म निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएका भवनको हकमा दोस्रो

वर्ष देखि चालु. आ.व सम्मको घर जग्गा र सम्पत्ति कर चूक्ता गराई रु. ३,०००।- (तीन हजार) एकमुस्ट जरिबाना गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिने ।

ङ) निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको लागि पेश भएको नक्सा बमोजिम घर निर्माण नभई घरको क्षेत्रफल बनबढ्ने गरी सानातिना स्रशोधन (प्राविधिकको स्थलगत निरीक्षण बमोजिम) पाईएकमा छिमेकीबाट पछि उजुरबाजुर भएमा नक्सा अनुसार नै कायम गर्नु पर्ने शर्तमा सो बापत जरिबाना रु. ३००० लिई निर्माण सम्पन्न प्रामाणपत्र दिने ।

च) भवन निर्माण इजाजत लिंदा बरण्डा नभएको, तर फिल्डमा निरिक्षण गर्दा बरण्डा भएको हकमा रु.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) जरिबाना लाग्ने । साथै एउटा भन्दा ज्यादा बरण्डा निकालेको हकमा थप बरण्डाको प्रति बरण्डा रु. १०,०००।- (दश हजार) जरिबाना लाग्ने । तर कुनै समयमा छरछिमेकबाट उजुरवाजुर भएमा नक्सा अनुसार नै कायम गर्नुपर्ने ।

छ) महिलाको नाममा घर नक्सा पास गर्दा एक पटकलाई नक्सापास दस्तुरमा दश (१०) प्रतिशत छुट हुने । तर महिलाको नाममा नक्शा पास दस्तुर छुट लिएकोमा २ वर्षसम्म नराख ी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको खण्डमा छुट प्रदान गरेको दश प्रतिशत (१०%) नक्सा पास दस्तुर घरबाटो सिफारिस गर्दा असुल उपर गर्ने ।

ज) घर नक्सा पासगर्दा पुरै वा आंशिक भाग पार्किङ प्रयोजनको लागि पेश गरेमा उक्त पार्किङ प्रयोजनको क्षेत्रफल बराबरको नक्सापास दस्तुर छुट हुनेछ । यसरी छुट लिई नक्सा पास गरी पार्किङलाई अन्य प्रयोजनका लागि संशोधन गर्नु परेमा छुट रकम बराबरको रकम असुल गरी संशोधन दस्तुर लिईनेछ ।

झ) नयाँ नक्सा पास गर्दा Site Plan मा Water Recharge Well उल्लेख भएमा उक्त नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुरमा रु. ३,००० (अक्षरेपी तीन हजार) छुट दिईनेछ । तर निर्माण सम्पन्नको चरणमा स्थलगत निरिक्षण गर्दा Water Recharge Well निर्माण नभएको पाईएमा रु. ६,००० (अक्षरेपी छ हजार) जरिबाना असुल गरिनेछ ।

ञ) नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कार्यरत कर्मचारीले निजको नाममा वा श्रीमान र श्रीमतीको वा आमाबुवा वा एकाघरको नाममा जग्गा भई घर बनाउँदा एक पटकलाई नक्सापास दस्तुरमा पचास प्रतिशत (५०%) छुट दिईनेछ ।

ट) नेपालको परम्परागत शैलीको स्थानीय मौलिक कला संस्कृति झल्कने गरी निर्माण गरिने आवासीय भवनहरुमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा सहरी तथा पूर्वाधार विकास महाशाखाले चेकजाँच गरी प्रमाणित गरे पश्चात नक्सापास दस्तुरमा असी (८०) प्रतिशत छुट दिईनेछ। तर निर्माण सम्पन्नको

| | | |
|---|---|---|
| | चरणमा स्थलगत निरिक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्वीकृत नक्साअनुसार निर्माण नभएको पाइएमा छुट भएको रकम र सो रकमको दश(१०) प्रतिशत थप रकम जरिबाना असुल गरिनेछ। | |
| १० | भुकम्प प्रभावितले घर निर्माण गर्दा | |
| | क. नेपाल सरकारबाट भुकम्प पिडितहरुको लागि ३ लाख अनुदान प्राप्त भई सो रकम भित्र रहेर घर निर्माण गर्दा | निःशुल्क |
| | ख. नेपाल सरकारबाट भुकम्प पिडितहरुको लागि ३ लाख अनुदान प्राप्त भई सो रकममा व्यक्तिगत रकम समेत थप गरेर नगरपालिकाको नियमानुसार घर निर्माण गर्दा नक्सापासमा | ५० प्रतिशत छुट हुनेछ। |
| ११ | ३ पुस्ते भित्र नक्सा नामसारी गर्दा प्रति पटक (हालैदेखिको दानपत्र, बकसपत्र, अंशबण्डा र मृत्यु पछिको नामसारीको हकमा मात्र) | २००० |
| १२ | अन्यको हकमा नक्सा नामसारी गर्दा प्रति पटक | नक्सापास गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५०% हुनेछ |
| १३ | पर्खाल निर्माण स्वीकृत प्रति रनिङ्ग फिट | ५० |
| १४ | **प्रचलित मापदण्ड विपरित निर्माण भएको भवनको अभिलेखीकरण** | |
| क. | वि.स. २०७२ भन्दा अगाडिको हकमा मापदण्ड विपरीतको क्षेत्रफल वा नक्सा पास नभएको क्षेत्रफलको प्रति वर्गफुट रु. | ३० |
| | न्यूनतम रु. | १०००० |
| ख. | वि.स २०७२ र सो भन्दा पछाडिको हकमा मापदण्ड विपरीतको क्षेत्रफल वा नक्सा पास नभएको क्षेत्रफलको प्रति वर्गफुट रु. | १०० |
| | न्यूनतम रु. | ५०००० |
| | पुनश्चः नगर कार्यपालिकाले तोकेको समयावधीमा मात्र भवनको अभिलेखीकरण गरीनेछ । | |
| | **फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (रु.)** | |
| | **नगरपालिकाबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि प्रति घर पासबुकको व्यवस्था गरिनेछ ।** | |
| १ | फोहोरमैला वर्गिकरण गरेकोमा प्रतिघर मासिक रु. | २५० |
| २ | फोहोरमैला वर्गिकरण नगरेमा प्रति घर मासिक रु. | ४५० |

| | | |
|---|---|---|
| पुनश्चः संस्थागत/व्यवसाय/रेष्टुरेन्ट/उद्योगजन्य लगायतका अन्य फोहोरको हकमा नगरस्तरीय फोहोरमैला व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्कको दर निर्धारण गरि असुल उपर गरिनेछ । | | |
| **बालि धरौटी तथा अन्य धरौटी** | | |
| १ | कुनै व्यक्ति, संस्था कार्यालयले धारा, ढल एवं अन्य निर्माणको लागि नगरपालिकाको जिम्मामा रहेर सडक बाटो खन्दा निम्न बमोजिम धरौटी लिई नगरपालिकाले स्वीकृत दिने | |
| | क. कच्ची ग्राभेल बाटो प्रति बर्ग मिटर | १५०० |
| | ख. ईँट्टा वा ढुंगा विच्छाएको बाटो प्रति बर्ग मिटर | ३००० |
| | ग. ढलान बाटो प्रति बर्ग मिटर | ५००० |
| | घ. कालोपत्रे बाटो प्रति बर्ग मिटर | ४००० |
| प्राविधिकको सिफारिसको आधारमा स्वीकृति दिनु पूर्व आवश्यकता अनुसार छरछिमेकरसँधियारको सर्जिमिन गराउने तथा कालोपत्रे र ढलान बाटो बाहेक अन्य बाटो सम्बन्धित पक्षले पुर्व अवस्थामा कायम गरेमा धरौटी बापतको रकम ५० प्रतिशत फिर्ता हुनेछ । साथै यस्तो कार्यको लागि अनुमति माग गर्ने व्यक्तिले धरौटी खातामा रकम जम्मा गरिसके पश्चात सोको आधारमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको माग बमोजिमको सडक/बाटो खन्ने अनुमति दिने । | | |
| २ | बालि धरौटी | भूमिसुधार कार्यालयले तोके बमोजिम |
| ३ | अन्य धरौटी | नियमानुसार |

अनुसूची -११

(दफा १४ सँग सम्बन्धित)

**पर्यटन शुल्क**

पर्यटन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यकता अनुसार नगर कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

अनुसूची- १२

(दफा १६ सँग सम्बन्धित)

**दण्ड जरिबाना**

नगरपालिका क्षेत्रभित्र निषेध गरिएका सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथ, सवारी साधन पार्किङ्ग वा व्यापार व्यवसाय, निर्माण सामाग्री, फोहोरमैला गर्ने तथा प्रचलित कानुन विपरितका कार्य गर्नेलाई देहाय बमोजिम जरिबाना लगाई असुलउपर गरिनेछः

| क्र.स. | सामानको किसिम | आ.व २०८१/०८२ को जरिबाना रु. | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | साईकल | १००० | |
| २ | ठेलागाडा | १५०० | |
| ३ | घुम्ती पसल | १००० | |
| ४ | आयुर्वेदिक औषधी | ५०० | |
| ५ | चिया पसल | ५०० | |
| ६ | स्टयाण्ड बोर्ड | ५०० | |
| ७ | होर्डिङ्ग बोर्ड | १००० | |
| ८ | फल्याक्स फ्रेम व्यानर | १००० | |
| ९ | फलेक्स ब्यानर | १००० | |
| १० | गेट | ५०० | |
| ११ | कपडाको व्यानर | ५०० | |
| १२ | चुरोट पसल | ५०० | |
| १३ | नाङलो पसल | ५०० | |
| १४ | व्यवसायिक स्टल | ३००० | |
| १५ | सि डी पसल | ५०० | |
| १६ | कुखुरा | १००० | |
| १७ | खसी बाख्रा (चौपाया) | १००० | |
| १८ | पंक्षी | ५०० | |
| १९ | सागसब्जी | ५०० | |
| २० | फलफुल | ५०० | |
| २१ | चनाचटपटे खोचा | ५०० | |
| २२ | पानीपुरी खोचा | ५०० | |
| २३ | कपडाको व्यानर | १००० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| २४ | कस्मेटिक सामान | १००० | |
| २५ | काष्ठ सामाग्री | १००० | |
| २६ | फलामे सामाग्री | २००० | |
| २७ | खेलौना | ५०० | |
| २८ | भाडावर्तन | ५०० | |
| २९ | मेसिन औजार | १००० | |
| ३० | घडी | ५०० | |
| ३१ | जुत्ताचप्पल | ५०० | |
| ३२ | ढकतराजु | ५०० | |
| ३३ | डिजीटल ढक तराजु | ८०० | |
| ३४ | क्रेट | ५०० | |
| ३५ | किताब | ५०० | |
| ३६ | पत्रपत्रिका | ५०० | |
| ३७ | मोबाईलको खोल, चार्जर, ईयरफोन | १००० | |
| ३८ | निर्माण औजार | १००० | |
| ३९ | निर्माण सामाग्री | १००० | सामानको परिमाण हेरी कार्यालय प्रमुखबाट थप जरिबाना हुन सक्ने |
| ४० | स्टोभ | ५०० | |
| ४१ | खाद्य पदार्थ | ५०० | |
| ४२ | पेटी (बेल्ट) | ५०० | |
| ४३ | विद्युतीय सामान | ५०० | |
| ४४ | डमी | ५०० | |
| ४५ | माछा | १००० | |
| ४६ | ढुंगाबाट निर्मित सामाग्री | ५०० | |
| ४७ | सवारी साधन गाडी | १५०० | विज्ञापनको लागि प्रयोग भएकोलाई |
| ४८ | माटोबाट निर्मित सामान | १०० | |
| ४९ | ग्याँसको सिलिण्डर | ५०० | चुलो सहित भएमा थप रु. ५०० |
| ५० | टेबल, बेञ्च, दराज आदी | १००० | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ५१ | छाडा चौपाया | २०० | लिलाम बढाबढमा कबोल रकम, लैनो गाई (२०००) |
| ५२ | रड/छड | १५०० | |
| ५३ | अन्य सामग्री | १००० | |
| ५४ | अनधिकृत रुपमा बनेका संरचना हटाउँदा | कुल मूल्याङ्कनको २० प्रतिशत जरीवाना गरी जफत गरिएको सामग्री फिर्ता गर्ने । | |
| ५५ | **अनाधिकृत रुपमा सवारी साधन पार्किङ्ग (रु.)** | | |
| | क. मोटरसाईकल र तीनपांग्रे सवारी | १००० | लाईसेन्स र ब्लु बुक अनिवार्य |
| | ख. चारपांग्रे सवारीका हकमा | | |
| | अ. १००० सि.सि. सम्मका सवारीको लागि | १५०० | |
| | आ. १००० सि.सि भन्दा माथि १५०० सि.सि सम्मको लागि | २००० | |
| | इ. १५०० सि.सि भन्दा माथि २२०० सि.सि सम्मको लागि | २५०० | |
| | ई. २२०० सि.सि भन्दा माथि सबैका लागि | ३००० | |

**पुनश्चः**

तरकारी तथा फलफुलजन्य सामग्री २ दिनसम्म र तरकारी तथा फलफुल बाहेक अन्य सामग्रीको हकमा ३५ दिनसम्म सामान फिर्ता लिन नआएमा उक्त सामान जफत गरिने छ ।